न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—30/2022 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि., सर्कल SASTRA केंन्द्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन।

——प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स शुभम ट्रैडिंग कम्पनी वार्ड नं. 01 अटल सेवा केन्द्र के पास, 20 एनटीआर, पर्लिका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अप्रार्थीगण/ऋणी

2. श्रीमती कान्ता पत्नी श्री मदन कुमार पता वार्ड नं. 01 अटल सेवा केन्द्र के पास, 20 एनटीआर, पर्लिका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——प्रोपराईटर

3. श्री मदन कुमार पुत्र श्री मंगतु राम पता वार्ड नं. 01 अटल सेवा केन्द्र के पास, 20 एनटीआर, पर्लिका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——जमानतदार

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश **दिनांकः—13.08.2022**

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्राधिकृत अधि., सर्कल SASTRA केंन्द्र, हनुमानगढ़ आशिष सिनेमा के सामने, गोयल टावर, तीसरी मंजिल, हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से श्री समीर यादव बैंक प्रतिनिधि उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को 17 लाख की ऋण सुविधा नगद साख सीमा ऋण के बाबत उपलब्ध करवाई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण सुविधा के एवज में 1. कच्चा माल स्टॉक इन प्रोसेस, तैयार माल एवं पार्टी के व्यवसाय के लिए पैकिंग सामग्री अर्थात कारखाने के गोदाम में चाय, चाय पैकेट, पैकिंग मशीन, पैकिंग सामग्री का दृष्टिबंधक। 2. श्री मदन कुमार पुत्र श्री मंगतुराम के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जिसका क्षेत्रफल (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 2756 वर्ग फीट)है, जो वार्ड नं. 01, राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास, पर्लिका तहसील नोहर पर स्थित है, ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी/जमानती की सलंग्न समरी लिस्ट में वर्णित सम्पत्ति जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में हित साम्यिक बंधक किया।

ऋणी द्वारा प्रार्थी की बकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को नियमानुसार दिनांक 28.10.2021 को गैर—निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण

Web Copy - Not Official

खाते में रूपये 17,52,977/- दिनांक 28.02.2022 को बकाया एवं दिनांक 01.03.2022 से ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है।

ऋणी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी व जमानती को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 30.12.2021 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 17,12,019/- दिनांक 30.12.2021 को बकाया एवं दिनांक 01.12.2021 से ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल SASTRA केन्द्र, हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली पर कच्चा माल स्टॉक इन प्रोसेस, तैयार माल एवं पार्टी के व्यवसाय के लिए पैकिंग सामग्री अर्थात कारखाने के गोदाम में चाय, चाय पैकेट, पैकिंग मशीन, पैकिंग सामग्री इत्यादि के दृष्टिबंधक से सम्बन्धित स्टॉक सूची की नवीनत्तम स्थिति उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी बैंक कच्चा माल स्टॉक इन प्रोसेस, तैयार माल एवं पार्टी के व्यवसाय के लिए पैकिंग सामग्री अर्थात कारखाने के गोदाम में चाय, चाय पैकेट, पैकिंग मशीन, पैकिंग सामग्री आदि का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा आवासीय सम्पत्ति वार्ड नं. 01, राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास, पर्लिका तहसील नोहर पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल (बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 2756 वर्ग फीट)है, जो श्री मदन कुमार पुत्र श्री मंगतुराम के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 13.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़
सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़